संख्या-11/2020/522/96-आयुष-1-2020-459/2018 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद यादव,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,

आयुर्वेद सेवायें,

उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च 2020

विषय- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-437/373/गठिया/2019-20, दिनांक 26-12-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाषीर्शकः2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें 101-आयुर्वेद- 10-राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध हेतु उन्नति केन्द्र के निम्नलिखित मानक मदों में उनके सापेक्ष प्राविधानित धनराशि की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं कि प्रकरण में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित व्यवस्था का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायः-

08-	कार्यालय व्यय	0.50 लाख
11-	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.50 लाख
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00 लाख
26-	मशीनें और सज्जा/उपकरण की व्यवस्था	14.00 लाख
39-	औषधि तथा रसायन	2.00 लाख
42-	अन्य व्यय	1.00 लाख

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।

2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ)।

3- वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ)

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)

अनु सचिव।

http:\\shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।